



"सहकारिता की महिला निदेशकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (28 मे से 30 मे 2024) ऑफ़लाइन मोड

परिचय

भारतीय सहकारी बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन की वर्तमान स्थिति महत्वपूर्ण चिंता और फोकस का विषय बनी हुई है। हालाँकि शासन की कमियों को दूर करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन कुछ सहकारी बैंकों में कमजोर शासन प्रथाओं और वित्तीय अनियमितताओं ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रशासन को मजबूत करने के लिए नियामक उपाय किए हैं, जिसमें पेशेवर प्रबंधन की नियुक्ति, मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन और ऑडिट प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण मानदंडों में वृद्धि शामिल है। हालाँकि, क्षेत्र में विश्वास और स्थिरता बहाल करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए शासन प्रथाओं की निरंतर निगरानी, मूल्यांकन और सुधार अभी भी आवश्यक है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

- सहयोग में कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व को समझना।
- कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र को समझना।
- बाहरी कॉर्पोरेट प्रशासन और आंतरिक कॉर्पोरेट प्रशासन के अर्थ और महत्व को समझना।
- संगठनात्मक स्तर, वैधानिक स्तर, क्षेत्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट प्रशासन के कार्यान्वयन को समझना।
- सहकारिता के मुख्य शासकीय निकायों के कामकाज में उचित संतुलन स्थापित करना।
- सहकारिता के विभिन्न शासकीय निकायों के बीच पारदर्शिता की पुष्टि करना, प्रासंगिक, समय पर,
- विश्वसनीय और सत्यापन योग्य जानकारी तैयार करना, हितों के टकराव को कम करना।

कार्यक्रम की सामग्री

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू करने में प्रमुख बाधाएँ।
- कॉर्पोरेट प्रशासन और शहरी सहकारी बैंक
- माधवदास समिति की सिफ़ारिशें
- सहकारी बैंकों के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय पहचान पूंजी पर्याप्तता आदि के लिए विवेकपूर्ण मानदंड।
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रकटीकरण मानदंड।
- शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए 'क्या करें और क्या न करें' का निर्धारण करना।
- शहरी सहकारी बैंकिंग वार्षिक रिपोर्ट पर आरबीआई द्वारा की गई कार्रवाई और लगाए गए जुर्माने का खुलासा।
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश जारी करना
- जमा आकार वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को ऑफ-साइट निगरानी (ओएसएस)।
- शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के लिए निर्देश जारी करना।
- कॉर्पोरेट प्रशासन को संगठनात्मक स्तर, वैधानिक स्तर, क्षेत्रीय स्तर पर लागू करना

प्रतिभागी

शहरी सहकारी बैंकों की महिला निदेशक

शुल्क

रुपये 6000/- + 18% जीएसटी (आवास, भोजन, प्रशिक्षण सामग्री की लागत आदि सहित)



28-30 मे 2024



वैमनीकॉम, पुणे

पाठ्यक्रम शुल्क के प्रेषण के लिए बैंक खाते का विवरण

बैंक का नाम: सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड,
खाते का नाम: वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, पुणे
खाता संख्या: ZSKUNT0000100109
खाते की प्रकृति: बचत
आईएफएससी कोड: SRCB0000110
शाखा का पता: वैमनीकॉम शाखा यूनिवर्सिटी रोड, पुणे -411007
प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान:- वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान, यूनिवर्सिटी रोड, पुणे-411007
दूरभाष. क्रमांक : 020-25701000/306
संपर्क :- डॉ. पल्लवी इंगळे, कार्यक्रम निदेशक - 9850861405,
और सुश्री पूजा म्हेत्रे, कार्यक्रम सहायक - 7888131788

